

अनुबंध-4

पेंशन के लिए आवेदन पत्र

देखिये बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006
(विधान मंडल के पूर्व सदस्य/सदस्या द्वारा तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती/कुमारी

पूर्व सदस्य/सदस्या, बिहार विधान सभा ।

(यहाँ यह उल्लेख कीजिये कि पिछली बार विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य थे)

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,

बिहार विधान सभा ।

विषय:- बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम-2006 की धारा-8 के तहत बने बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) नियमावली-2006 के अन्तर्गत पेंशन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित अवधि में

..... विधान सभा का सदस्य/सदस्या रहने के कारण पेंशन पाने का हक है :-

- I. विधान सभा की सदस्यता की अवधिसे तक
- II. विधान परिषद् की सदस्यता की अवधि से तक
2. अनुरोध है कि मुझे पेंशन स्वीकृत करने के बारे में कार्रवाई की जाय ।
मैं अपना पेंशन कोषागार से लेना चाहता हूँ ।
3. मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी/केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करती हूँ ।
 - I. तीन नमूना हस्ताक्षर ।
 - II. पासपोर्ट साईज का तीन नवीनतम फोटो ।
4. मेरा वर्तमान पता-
.....
मेरा स्थायी पता -
.....
5. जन्म तिथि -
6. पहचान का चिन्ह -
7. ऊँचाई -
8. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि -
 - I. मैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हूँ ।
 - II. मैं संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य के विधान परिषद् का सदस्य/सदस्या नहीं हूँ ।

III. मैं केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वीधकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूँ अथवा मुझे ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकार से कोई पारिश्रमिक पाने का कोई हक नहीं है ।

IV. मैं दिनांक- से के पद पर कार्य कर रहा/रही हूँ अथवा का सदस्य/सदस्या हूँ अथवा मैं नियुक्त हूँ और मुझे रुपये प्रतिमाह कुल पारिश्रमिक मिलता है ।
(सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए ।)

पति/पत्नी का नाम -

भवदीय,

सदस्य का हस्ताक्षर

नाम (साफ-साफ अक्षरों में) -

पता -
.....
.....

क्षेत्र संख्या -

क्षेत्र का नाम -

क्षेत्र का जिला -

घोषणा पत्र

(टिप्पणी:- यह घोषणा पत्र भूतपूर्व विधान मंडल सदस्य द्वारा अपने पेंशन विपत्र के साथ प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह में कोषागार में देना होगा। पेंशन स्वीकृति/पुनरीक्षण के समय इसे महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना में भी जमा करना होगा।)

मैं.....घोषणा

करता/करती हूँ कि :-

1. मैं राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं हुआ/हुई और न ही किसी राज्य के राज्यपाल/प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया गया/गयी हूँ।
2. मैं संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य नहीं हूँ।
3. मैं केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित हूँ/नहीं है अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हूँ/नहीं हूँ।
4. मैं किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हूँ / कार्यरत नहीं था एवं किसी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से मुझे वेतन नहीं मिल रहा है।
5. मुझे.....(संस्थान का नाम) से वेतन अंके-.....मिल रहा है।
6. मुझे.....(संस्थान का नाम) से वेतन/पेंशन नहीं मिल रहा है किन्तु अंके-.....रूपया देय है।
7. मैंने मोटर कार अग्रिम नहीं लिया है। मोटरकार अग्रिम मद में कुछ भी बकाया नहीं है।
8. मैंने मोटरकार अग्रिम अंके.....लिया था, शेष अंके.....बकाया है, जिसका समायोजन पेंशन की राशि से कर लिया जाय।
9. इस पेंशन की स्वीकृति के बाद अन्य किसी भी श्रोत से अगर वेतन/पारिश्रमिक मिलेगा अथवा सांसद/किसी विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत होने पर बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली के तहत प्राप्त होने वाले पेंशन को लेना बन्द कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर-

पेंशनधारी का नाम-

पता-

क्षेत्र संख्या-

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाय।

मृत भूतपूर्व सदस्य/सदस्यों के पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन-पत्र ।

(देखिये बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8

(मृत भूतपूर्व विधान मंडल के सदस्य/सदस्या के पारिवारिक पेंशन की राशि की स्वीकृति हेतु उनके पति/पत्नी द्वारा तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिये)

(यहां वह उल्लेख कीजिये कि पिछली बार विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य थे)

सेवा में,

सचिव,

बिहार विधान सभा / परिषद् सचिवालय

विषय:- बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8 के तहत बने बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) नियमावली, 2006 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत मेरे पति/पत्नी निम्नलिखित अवधि में
विधान सभा/परिषद् के सदस्य/सदस्या रहने के कारण वे पेंशन पाने के हकदार हैं :-

- (i) विधान सभा की सदस्यता अवधि से तक
- (ii) विधान परिषद् की सदस्यता अवधि से तक
- (iii) सदस्य/सदस्या की मृत्यु दिनांक को हो गयी । मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा ।

2. अनुरोध है कि मेरा पति/पत्नी के बकाये पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति करने के बारे में कार्रवाई की जाय ।
मैं उनका बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन कोषागार/उप कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूँ ।

3. मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी/केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करती हूँ :-

- (i) तीन नमूना हस्ताक्षर
- (ii) पासपोर्ट साईज का तीन नवीनतम फोटो
- (iii) वैधिक उत्तराधिकारी होने का जिलाधिकारी का उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र ।
- (iv) आवेदनकर्ता का वर्तमान पता

आवेदन का स्थायी पता-

4. एतद द्वारा घोषणा करता/करता हूँ कि मैं :-

- (i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हूँ ।
- (ii) संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य का विधान परिषद् का सदस्य/सदस्या नहीं हूँ ।

(iii) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूँ अथवा उनकी ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकार से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्य किसी प्रकार से कोई हक नहीं है ।

(iv) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन अथवा उनके द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय प्राधिकरण निगम से कोई राजनैतिक/सैनिक/सिविल पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ/नहीं कर रहा हूँ ।

घोषणा पत्र

(टिप्पणी:- यह घोषणा पत्र पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता को अपने पेंशन विपत्र के साथ प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह में कोषागार में देना होगा। पारिवारिक पेंशन स्वीकृति / पुनरीक्षण के समय इसे महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भी जमा करना होगा।)

मैं.....घोषणा

करता/करती हूँ कि :-

1. मैं राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं हुआ/हुई और न ही किसी राज्य के राज्यपाल/प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया गया/गयी हूँ।
2. मैं संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य नहीं हूँ।
3. मैं केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित हूँ/नहीं हूँ अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हूँ/नहीं हूँ।
4. मैंने अपनी पत्नी/अपने पति की मृत्यु के बाद शादी नहीं की है।
5. मैं किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हूँ / कार्यरत नहीं था एवं किसी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से मुझे वेतन नहीं मिल रहा है।
6. मुझे.....(संस्थान का नाम) से वेतन अंके-.....मिल रहा है।
7. मुझे.....(संस्थान का नाम) से वेतन/पेंशन नहीं मिल रहा है किन्तु अंके-..... रूपया देय है।
8. मेरे पति/पत्नी स्व०.....पूर्व स०वि०स० द्वारा मोटर कार अग्रिम नहीं लिया गया है। मोटरकार अग्रिम मद में कुछ भी बकाया नहीं है।
9. मेरे पति/पत्नी स्व०..... पूर्व स०वि०स० द्वारा मोटरकार अग्रिम अंके.....लिया था, शेष अंके.....बकाया है, जिसका समायोजन पारिवारिक पेंशन की राशि से कर लिया जाय।
10. इस पेंशन की स्वीकृति के बाद अन्य किसी भी श्रोत से अगर वेतन/पारिश्रमिक मिलेगा अथवा सांसद/किसी विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत होने पर अथवा विवाह हो जाने की दशा में बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली के तहत प्राप्त होने वाले पेंशन को लेना बन्द कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर-

पारिवारिक पेंशनधारी का नाम-

पता-

क्षेत्र संख्या-

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाय।

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,

बिहार विधान सभा, पटना ।

विषय :- भूतपूर्व सदस्य को प्राप्त हो रहे विधायक पेंशन का पुनरीक्षण ।

महाशय,

निवेदन है कि मैं.....

जिला.....के निवार्चन क्षेत्र संख्या एवं नाम.....

से सन्.....

.....तक

बिहार विधान सभा का सदस्य रहा चुका/चुकी हूँ । मुझे पी०पी०ओ० नं०-

द्वारा.....कोषागार से अंके.....

.....रूपया मात्र प्रतिमाह विधायक पेंशन प्राप्त

हो रहा है । मैं.....(बैंक एवं शाखा का

नाम) से खाता सं०-.....में उक्त राशि प्राप्त कर रही/रहा हूँ ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी बोर्ड या निगम से कोई वेतन, भत्ता या पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है/नहीं हो रहा है ।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त हो रहे विधायक पेंशन को बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 (संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना सं०-864, दिनांक-09.11.2022 के आलोक में) के अनुसार पुनरीक्षित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

हस्ताक्षर-

पति/पत्नी का नाम-

पता-

नाम-

पता-

दूरभाष/मोबाईल नं०-

दूरभाष/मोबाईल नं०-

घोषणा पत्र

(टिप्पणी:- यह घोषणा पत्र भूतपूर्व विधान मंडल सदस्य द्वारा अपने पेंशन विपत्र के साथ प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह में कोषागार में देना होगा। पेंशन स्वीकृति/पुनरीक्षण के समय इसे महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना में भी जमा करना होगा।)

मैं.....घोषणा

करता/करती हूँ कि :-

1. मैं राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति के पद पर निवारचित नहीं हुआ/हुई और न ही किसी राज्य के राज्यपाल/प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया गया/गयी हूँ।
2. मैं संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य नहीं हूँ।
3. मैं केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित हूँ/नहीं है अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हूँ/नहीं हूँ।
4. मैं किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हूँ / कार्यरत नहीं था एवं किसी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से मुझे वेतन नहीं मिल रहा है।
5. मुझे.....(संस्थान का नाम) से वेतन अंके-.....मिल रहा है।
6. मुझे.....(संस्थान का नाम) से वेतन/पेंशन नहीं मिल रहा है किन्तु अंके-.....रूपया देय है।
7. मैंने मोटर कार अग्रिम नहीं लिया है। मोटरकार अग्रिम मद में कुछ भी बकाया नहीं है।
8. मैंने मोटरकार अग्रिम अंके.....लिया था, शेष अंके.....बकाया है, जिसका समायोजन पेंशन की राशि से कर लिया जाय।
9. इस पेंशन की स्वीकृति के बाद अन्य किसी भी श्रोत से अगर वेतन/पारिश्रमिक मिलेगा अथवा सांसद/किसी विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत होने पर बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली के तहत प्राप्त होने वाले पेंशन को लेना बन्द कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर-

पेंशनधारी का नाम-

पता-

क्षेत्र संख्या-

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाय।

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,

बिहार विधान सभा, पटना ।

विषय :- भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी को प्राप्त हो रहे पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण ।

महाशय,

निवेदन है कि मेरे पति/पत्नी स्व०.....

जिला.....के निवारचन क्षेत्र संख्या एवं नाम.....

से सन्.....

.....तक बिहार विधान सभा के सदस्य थे ।

मुझे पी०पी०ओ० नं०-द्वारा.....कोषागार से

अंके.....रूपया

मात्र प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रहा है । मैं.....

(बैंक एवं शाखा का नाम) के खाता सं०-.....में उक्त राशि प्राप्त कर

रही/रहा हूँ ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी बोर्ड या निगम से कोई वेतन, भत्ता या पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है/नहीं हो रहा है ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अपनी पत्नी/अपने पति की मृत्यु के बाद शादी नहीं की है ।

अतः अनुरोध है कि प्राप्त हो रहे पारिवारिक पेंशन को बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 (संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना सं०-864, दिनांक-09.11.2022 के आलोक में) के अनुसार पुनरीक्षित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

हस्ताक्षर-

नाम-

पता-

दूरभाष/मोबाईल नं०-

घोषणा पत्र

(टिप्पणी:- यह घोषणा पत्र पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता को अपने पेंशन विपत्र के साथ प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह में कोषागार में देना होगा। पारिवारिक पेंशन स्वीकृति / पुनरीक्षण के समय इसे महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भी जमा करना होगा।)

मैं.....घोषणा

करता/करती हूँ कि :-

1. मैं राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं हुआ/हुई और न ही किसी राज्य के राज्यपाल/प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया गया/गयी हूँ।
2. मैं संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य नहीं हूँ।
3. मैं केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित हूँ/नहीं हूँ अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हूँ/नहीं हूँ।
4. मैंने अपनी पत्नी/अपने पति की मृत्यु के बाद शादी नहीं की है।
5. मैं किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हूँ / कार्यरत नहीं था एवं किसी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से मुझे वेतन नहीं मिल रहा है।
6. मुझे.....(संस्थान का नाम) से वेतन अंके-.....मिल रहा है।
7. मुझे.....(संस्थान का नाम) से वेतन/पेंशन नहीं मिल रहा है किन्तु अंके-..... रूपया देय है।
8. मेरे पति/पत्नी स्व०.....पूर्व स०वि०स० द्वारा मोटर कार अग्रिम नहीं लिया गया है। मोटरकार अग्रिम मद में कुछ भी बकाया नहीं है।
9. मेरे पति/पत्नी स्व०..... पूर्व स०वि०स० द्वारा मोटरकार अग्रिम अंके.....लिया था, शेष अंके.....बकाया है, जिसका समायोजन पारिवारिक पेंशन की राशि से कर लिया जाय।
10. इस पेंशन की स्वीकृति के बाद अन्य किसी भी श्रोत से अगर वेतन/पारिश्रमिक मिलेगा अथवा सांसद/किसी विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत होने पर अथवा विवाह हो जाने की दशा में बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली के तहत प्राप्त होने वाले पेंशन को लेना बन्द कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर-

पारिवारिक पेंशनधारी का नाम-

पता-

क्षेत्र संख्या-

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाय।

बिहार विधान सभा सचिवालय

विधायक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक कागजातों से सम्बन्धित चेक लिस्ट :-

क्रम सं०	आवश्यक कागजात		प्रतियाँ
1.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण से सम्बन्धित आवेदन	-	2 (दो)
2.	घोषणा पत्र	-	3 (तीन)
3.	पी०पी०ओ० की छायाप्रति	-	2 (दो)
4.	बैंक खाता से सम्बन्धित बैंक विवरणी/बैंक पास बुक के विगत छः माह की छायाप्रति	-	1 (एक)

हस्ताक्षर